HPFD-F05/64/2025-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
उप–कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **iversion of 3.7386 hectare of forest land in favour of I & PH Department for consruction of augumentation and Integration LWSS Matiana Kumarsain, Sainj and Surrounding Villages of Theog Constituency, Distt. Shimla, H.P. within the jurisdiction of Rampur & Kotgarh Forest Division, Distt. Shimla, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र सं0 8बी/एच पी/08/24/2017/एफ सी /953 दिनांक 07/09/2017 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाअधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु आव यक धनरा ा जमा कर ली गई है।
2ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाुद्ध वर्तमान मूल्य की रा ा जमा कर ली है।
3ण भाुद्ध वर्तमान मूल्य की रा ा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
4ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी निधियों की निधारित रा ा online challan के माध्यम से जमा की है।
5ण निमार्ण कार्य के प चात जहा जहा भी सभव होगा, पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
6ण An undertaking from DFO concern in this regard is uploaded with the compliance report of DFO in PARIVESH.

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिरण द्वारा जिन भार्तों के आधार पर अतिंम स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उनकी अनुपालना निम्न प्रकार से हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी ।बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
2ण भाुद्ध वर्तमान मूल्य की रा ा की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिरण द्वारा अनुपालना रिर्पोट के साथ दी है।
3ण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
4ण ,प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
5ण परियोजना के निमार्ण व रख–रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों एवं जीवों के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचे। बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
6ण परियोजना के निमार्ण व रख–रखाव के दौरान जहां जहां सभंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
7ण वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ााए layout Plan के अलावा अन्य किसी उददे य के लिए नहीं किया जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
8ण कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 43 वृक्षों एवं 6 सेपलिंग से अधिक नहीं होगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
9ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख रेख प्रत्यावर्तित भूमि का आर,सी,सी, स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर ंअकिंत किया गया हो। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
10ण बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

11ण प्रयोक्ता अभिकरण से उत्सर्जित मलवे को निस्तारण प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा एवं निर्दिश्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

12ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ा/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। बचन बद्वता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

13ण ऐसी अन्य कोई भी भार्त जो कि भारत सरकार भविश्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के सरंक्षण हेतू आव वक लगाई जाएगी की अनुपालना पूर्ण रुप से की जाएगी।

भवदीय,

Signed by

Sanjay Sood

Date: 24-06-2025 14:13:40

नोडल आफिसर एवं प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ०सी०ए०) हि०प्र०।